(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि रू0 1991 लाख (रुपए उन्नीस करोड़ इक्यान्नवे लाख मात्र) का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,98,41,000 (रुपये बीस करोड़ अट्ठानबे लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051902100 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में किफायती आवास निर्माण की परियोजनाओं में बाहय विद्युतीकरण के कार्य हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E10-85-X2025-26-दिनांक:5-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2026/001-1137(1)-24-1-2025-120-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।